मोहनी बाई बनाम रामेश्वर

अपील संख्या : 2011/00062

30.05.2023	पत्रावली पेश हुई । उक्त पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से जरिये पत्र कमांक 7084 दिनांक 30.07.2012 न्यायालय हाजा मे दिनांक 08.08.2012 को प्राप्त होने पर उक्त पत्रावली को दिनांक 10.08.2012 को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर करने के बाद जरिये कमांक 2028-31 दिनांक 17.09.2012 को नोटिस उभयपक्ष जारी किये गये। उभयपक्ष को जारी किये गये नोटिस बाद तामील न्यायालय हाजा मे प्राप्त नहीं हुए। न्यायालय हाजा की आदेशिका दिनांक 26.11.2012 मे पुनः नोटिस उभयपक्ष जारी करने का निर्देश दिया गया। आदेशिका दिनांक 22.01.2013 मे नोटिस रेस्पोडेन्ट की प्रोपर तामील नहीं हुई। नोटिस रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 स्वयं द्वारा तथा नोटिस रेस्पोडेन्ट संख्या 4 स्वयं द्वारा प्राप्त करने की रिपोर्ट आई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 को तामील होने के बाद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 न्यायालय हाजा मे उपस्थित नहीं हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 का नोटिस बाद तामील न्यायालय हाजा मे प्राप्त नहीं होने पर पत्रावली को वास्ते इंतजार नोटिस रेस्पोडेन्ट संख्या 5 नियत किया गया । आदेशिका दिनांक 13.03.2013 मे नोटिस रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 5 पुनः जारी किये जाने का आदेश दिया गया। उस दिन भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 बाद तामील न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 01.07.2013 को भी नोटिस रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 5 पुनः जारी करने का आदेश दिया गया। न्यायालय हाजा की आदेशिका दिनांक 09.09.2013, 28.10.2013, 24.12.2013, 18.02.2014 को नोटिस अपीलांट व नोटिस रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 5 पुनः जारी करने के निर्देश दिये जाने के बाद जरिये पत्र कमांक 230 दिनांक 05.03.2014 को पुनः नोटिस जारी किये गये। न्यायालय हाजा की आदेशिका दिनांक 30.06.2014 से विदित होता है कि नोटिस अपीलांट अदम तामील प्राप्त हुए। न्यायालय हाजा ने अपने आदेश दिनांक 30.06.2014 से विदित होता है कि नोटिस अपीलांट अदम तामील प्राप्त हुए। न्यायालय हाजा ने अपने आदेश दिनांक 25.08.2014, 27.10.2014, 24.12.2014, 04.03.2015, 06.05.2015, 13.07.2015, 15.09.2015, 23.11.2015 आदि को बार-बार निर्देश देने के बाद दिनांक 03.09.2021 को नोटिस अपीलांट जारी किये गये। प्रार्थीया मोहनी बाई को जरिये कमांक 162 दिनांक 28.03.2022 को नोटिस जारी किये गये जो अदम तामील प्राप्त हुए, इसकी पुष्टी न्यायालय हाजा की आदेशिका दिनांक 24.05.2022 से होती है। नोटिस अपीलांट व रेस्पोडेन्ट पुनः जरिये कमांक 805-806 दिनांक 21.07.2022 को जारी किये गये, जिसमे नोटिस अपीलांट बाद तामील प्राप्त नहीं हुए। न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थीया

मोहनी बाई को जरिये क्रमांक 1415 दिनांक 13.12.2022 को नोटिस पुनः जारी किये गये जो बाद तामील न्यायालय हाजा मे प्राप्त नहीं हुए। न्यायालय हाजा द्वारा नोटिस अपीलांट पुनः क्रमांक 247 दिनांक 22.02.2023 को जारी किये। अपीलांट को पुनः एक बार नोटिस जरिये क्रमांक 324 दिनांक 18.04.2023 को रजिस्टर्ड एडी जारी किये गए, जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 18.04.2023 को करवाई गई। अपीलांट को जारी रजिस्टर्ड एडी सम्मन नोटिस को एक माह का समय बीत जाने के बावजूद अपीलांट न्यायालय हाजा मे उपस्थित नहीं हुई। रजिस्टर्ड एडी सम्मन नोटिस जारी किये जाने के एक माह बाद तामील होना मानी जाती है अतः अपीलांट को तामील माना जाना उचित है।

पत्रावली सन् 2012 से न्यायालय हाजा मे लम्बित है। साधारण डाक से केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 की तामील हुई। रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 18.04.2023 को सम्मन नोटिस जारी किये गए जो एक माह पश्चात भी लौटकर प्राप्त नहीं हुए अतः तामील मानी जाती है। माननीय राजस्व मण्डल से पत्रावली दिनांक 08.08.2012 प्राप्त हो गई थी। लगभग 10 वर्ष पश्चात भी न तो अपीलांट ओर न ही रेस्पोडेन्ट उपस्थित हुए। पूर्व मे अपीलांट के अधिवक्ता से भी मौखिक रूप से पूछने पर उन्होने बताया कि अपीलांट उनके संपर्क मे नहीं है। पूर्व मे न्यायालय हाजा द्वारा मोहनीबाई की तामील कराने बाबत बार–बार नोटिस जारी किये जाने के बाद भी अपीलांट मोहनीबाई की तामील नहीं हो सकी है। दिनांक 18.04.2023 को रजिस्टर्ड एडी से सम्मन नोटिस जारी हुए। प्रार्थीया मोहमी बाई को बार–बार नोटिस जारी किये जाने के बाद भी प्रार्थीया के उपस्थित नहीं होने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थीया मोहनी बाई उक्त अपील को आगे चलाना नहीं चाहती। लगभग 10 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात् उभय पक्षकारान मे से कोई भी आज तक न्यायालय हाजा मे उपस्थित नहीं हुआ। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलांट को प्रस्तुत प्रकरण के मे कोई रूचि नहीं है। प्रकरण को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीया अपीलांट मोहनी बाई के न्यायालय हाजा मे उपस्थित नहीं होने पर अपील अपीलांट अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज की जाती है। पत्रावली बाद निर्णय दाखिल दफ्तर हो व नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा